Title: Need to bring life saving and essential drugs under Price Control Regime-laid.

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): 1977 से 1994 के मध्य औषधि मूल्य नियंत्रण का आधार उपयोग पर आधारित था। 1994 में औषधियों का मूल्य प्रतिस्पर्धा के आधार पर निर्धारित करने की औषधि नीति बनी, जिसमें लगभग 20औ औषधियां ही मूल्य नियंत्रण के दायरे में रह गईं। वर्ष 2002 में इस औषधि नीति को बदलकर और कम औषधियों को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने का प्रयास हुआ।

इस प्रयास के विरोध में एक वाद में आम आदमी के हित की रक्षा हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10 मार्च, 2003 के आदेश पर सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा जीवन रक्षक एवं आवश्यक औषधियों को मूल्य नियंत्रण की परिधि में लाने का प्रस्ताव का सम्पूर्ण प्रकरण प्रारूप औषधि नीति 2006 के अंतर्गत वर्तमान में सरकार के पास निर्णय हेतु लंबित है।

बीमार व्यक्ति को जीवन रक्षक एवं आवश्यक औषधियां मूल्य नियंत्रण के दायरे में उपलब्ध हो सकें यह सुनिश्चित किए जाने का निर्णय भी गत चार वर्षों से लंबित है। इस विलम्ब का परिणाम यह है कि बीमारी से संघर्षरत आम आदमी से देश में प्रतिवर्ष लगभग 50 हजार करोड़ रूपयों का औषधि व्यवसाय करने वाली दवा कंपनियों को मनमाना लाभ कमाने का अवसर मिला हुआ है।

बीमार व्यक्ति को जीवनरक्षक एवं आवश्यक दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाकर उपलब्ध कराने के लिए इस संबंध में मंत्रियों के समूह के समक्ष लंबित प्रकरण पर निर्णय एवं क्रियान्वयन जनहित में तत्काल किया जाना अवश्यंभावी है।